

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक— एफ 5(प)(2)एसीटीएडी / माडा / 275(1)छा.निर्माण / 2018-19 /

दिनांक—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन
मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.),
बाडमेर / जालोर।

विषय— संविधान की धारा अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक 22332-53 दिनांक 26.06.2018 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडमेर एवं जालोर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 3 में अंकित कार्य हेतु कॉलम संख्या 6 में अंकित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है—

(राशि लाख रू.)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम एवं स्थान	प्रशा.स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त की राशि
				क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	बाडमेर	जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण, बाडमेर (क्षमता 50)	260.00	EE/BAR/12/ 30.09.2020	284.30	100.00
2	जालोर	जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण, आहोर (क्षमता 50)	260.00	EE/JLR/01/ 4-11-2020	260.00	100.00
कुलयोग					544.30	200.00

उपरोक्त कार्य संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या— 100 दिनांक 2019-20 द्वारा आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से राशि रू 200.00 लाख (प्रथम किश्त) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), बाडमेर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), जालोर को राशि रूपये क्रमशः 100.00 - 100.00 लाख हस्तांतरित करने की स्वीकृति जारी की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है। शेष राशि वर्ष 2021-22 में जनजाति कल्याण निधि (राज्य योजना) मद में प्रस्तावित की जावेगी।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे—

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. छात्रावास का निर्माण का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावे। प्रस्तावित छात्रावासों से जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जावे। स्वीकृत कार्यों का आपके विभाग में प्रचलित गाईड लाईन अनुसार third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरुस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

4. तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
7. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
8. छात्रावास निर्माण कार्य में आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य किया जावे।
9. छात्रावास निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व three D Elevation एवं कार्यदेश की प्रति आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित करें।
10. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS

आयुक्त

क्रमांक- एफ 5(प)(2)एसीटीएडी/माडा/275(1)छा.निर्माण/2018-19/30500-517 दिनांक-17/12/2020
प्रतिलिपी-

1. निजी सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बाडमेर/जालोर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर/जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बाडमेर/जालोर।
6. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बाडमेर/आहोर जिला-जालोर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 100 दि. 2019-20 द्वारा आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि रु 200.00 लाख में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), बाडमेर एवं जालोर को क्रमशः राशि 100.00 - 100.00 लाख रु कुल 200.00 लाख रु (प्रथम किश्त) हस्तान्तरित करावे।
8. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. लेखाकार माडा (उपयोगिता प्रमाण-पत्र), कार्यालय हाजा।
10. माडा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
11. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
12. अभियंत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
13. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)